Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज की भूमिका: बिहार के संदर्भ में

Manju Kumari*

Assistant Teacher, Primary School, North Saidpur, Mahendru, Patna

सार – ***बिहार राज्य में महिलाओं को सशक्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल जनसंख्या का*** 47.93 ***प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और पंचायती राज के कतिपय महत्वपूर्ण पदों पर*** 65 ***प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं की है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकेन्द्रीकरण प्रणाली प्रारम्भ की गयी और*** 50 ***प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी है। परिणामस्वरूप पंचायत स्तर पर इतनी अधिक संख्या में भागीदारी ने महिलाओं में न केवल आत्मविश्वास का संचार किया है, अपितु उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जागरूक, निर्भिक और सशक्त भी किया है। पंचायत स्तर की विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं का एक बहुमत वाला समूह है और महिलायें जब समूह में होती है तो वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना कर लेती है। यह व्यवस्था सामाजिक समानता, स्थानीय विकास एवं स्थानीय स्व-शासन का समन्वय प्रदर्शित करती है। प्रस्तुत शोध-आलेख में मुख्य रूप से यह अध्ययन किया गया है कि बिहार राज्य में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में पंचायती राज जैसे संविधानिक संस्थाओं की भूमिका किस प्रकार उपयोगी साबित हो सकी है।***

कुंजी शब्द: ***विकेन्द्रीकरण, सामाजिक समानता, स्व-शासन ।***

----------X----------

अध्ययन का उद्वेश्य:

पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिये किये गये सरकारी प्रयासों का अवलोकन करना और इससे संबंधित अन्य कार्यक्रम, आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत करना अध्ययन का उद्वेश्य है।

तथ्यों का संकलन:

तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक श्रोतों का सहयोग लिया गया है। विभिन्न शोध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि के महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अवलोकन किया गया है।

विश्लेषण:

शासन प्रणाली में जन-भागीदारी लोकतांत्रिक पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता होती है। भारत गांवों का देश है। यहाँ74.3 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। यहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय शासन का महत्व स्वतःसिद्ध और सर्वथा असंदिग्ध है। लोकतंत्रीय राज्य में जनता को उसके कल्याण कार्य में सहभागी बनने की पद्धति का ही एक अंग पंचायती राज व्यवस्था है। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद से ही इस प्रकार के स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के लिये अत्यधिक पहल किये गये। वयस्क मताधिकार से राज्य की विधानसभाओं तथा भारतीय संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के कार्य में जनता साझेदार बनीं, किन्तु कल्याणकारी राज्य की बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सरकारी प्रयास किये गये उनमें से प्रमुख हैं- ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की पुरानी संकल्पना को पुनर्जीवित करना।

1947 में आजादी मिलने के साथ ही अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी अन्तरिम सरकार का गठन हुआ। बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, गाँव के लोगो की उसमें भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनओं में गति लाने तथा स्थानीय स्तर पर छोट-छोटे विवादों को आपस में सुलझाने के उद्वेश्य से बिहार पंचाय राज अधिनियम 1947 का गठन हुआ। इस अधिनियम को 1948 में पूरे राज्य में लागू किया गया। देश

www.ignited.in

में त्रि-स्तरीय पंचायत राज के शुभारम्भ के बाद इस आलोक में बिहार में भी त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रारम्भ करने हेतु बिहार पंचायत समिति/जिला परिषद अधिनियम 1961 परित किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में ग्राम पंचायतों का गठन, कार्य, शक्ति आदि का पहले से ही प्रावधान था।

पंचायती राज प्रणाली का सूत्रपात नीति निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 40 से शुरू होता है। यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन के साथ एक निश्चित मुकाम पर पहुँच। वस्तुतः पंचायती राज की मूल अवधारणा जन सहभागिता से जुड़ी हुई है और यह निश्चित रूप से बिना महिलाओं की सहभागिता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता और महिलायें सशक्त भी नहीं हो सकती। हमारे कर्णधारों को जब इस बात का एहसास हुआ कि बगैर महिलाओं में जागृति लाये, उनकी सहभागिता में वृद्धि किये बिना हम अपने समाज का विकास नहीं कर सकते तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का स्थान सुनिश्चित करने के लिए अन्य आरक्षणों के साथ महिला आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993:

विभिन्न संविधान संशोधनों के आलोक में पूर्व के पंचायत राज अधिनियमों को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 बनाया गया। इसमें 73वें संविधान संशोधन के सारे प्रावधान शामिल किये गये। इन प्रावधानों के अलावे, इस अधिनियम में ग्राम कचहरी की अवधारणा को सम्मिलित किया गया। साथ ही आरक्षण का प्रावधान कर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ पिछड़े वर्गो की जातियों के लिये भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके विरोध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकायें दायर की गई । इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने मुख्य रूप से कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं करने का निर्णय दिया। अंततः राज्य सरकार ने पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये। पंचायत स्तर के कुछ समितियों के माध्यम से महिला उत्थान के लिये प्रावधान किये गए। जिसमें उत्पादन समिति के अन्तर्गत ग्राम या कुटीर उद्योग, खादी सम्बन्धी कार्य प्रमुख रूप से महिला उत्थान के लिये समर्पित है। अतएव प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित काम इसके जिम्मे आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय समिति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के साथ ही कमजोर वर्गों को शैक्षणिक ,आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय से बचाने सम्बन्धी तथा महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी कार्य करती है। परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों के प्रावधान लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति द्वारा किये जाते हैं। इन समितियों का उत्तरदायित्व सीधे अपने क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ जाता है और इसलिये महिलाओं को सशक्त करने के लिये एक प्रमुख आधार है।

इसके अतिरिक्त बिहार प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के सशक्त करने एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिये कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य में भी हुआ है। इन योजनाओं की छाया में महिलायें मुक्त होकर अपने उत्तरदायित्वों को निभा रही हैं। प्रवर्तित कानून एवं अधिनियमों की समुचित जानकारी पंचायत द्वारा महिलाओं को मिले इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से समुचित प्रबंध भी किये गए है। प्रमुख अधिनियम इस प्रकार हैंः-

- हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, (1856)
- हिन्दु महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, (1937)
- चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971, यथा संशोधित 2002 एवं 2020
- पूर्व गर्भधारण एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994
- मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
- मातृत्व लाभ अधिनियम,1961
- परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- महिला अशोभनीय प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987

सुझाव एवं निष्कर्ष:

महिलाओं के सशक्तीकरण में पंचायत की भूमिका तीन रूपों में हो सकती है-सर्वप्रथम लक्षित वर्ग के रूप में, दूसरा वंचित वर्ग के रूप में तथा तीसरा मानवीय वर्ग के रूप में। इन तीनों रूपों में

www.ignited.in

पंचायती राज संस्थायें महिलाओं को निम्नरूपेण सशक्त कर सकती है।

एक लक्षित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिये पंचायत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एवं अपनी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता देकर उनके सशक्तिकरण में सहायक हो सकती है। इसके अलावा, महिलाओं के लिये विशेष रूप से बनी योजनाओं में अधिक से अधिक महिलाओं को सहभागी बना सकती है, जैसे-

राज्य महिला विकास निगम द्वारा चलाई जानेवाली योजनाओं- स्वशक्ति, स्वयंसिद्ध, स्वाबलंबन आदि में उन्हें शामिल करके। वास्तव में ये कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को संगठित करते हैं एवं बचत को प्रोत्साहित करते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्यमी के रूप में भी विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से पंचायत के अन्दर महिलाओं में निर्भिकता एवं एकजुटता लायी जा सकती है एवं उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।

एक वंचित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिये पंचायत निम्नलिखित संदर्भ में भी पहल कर सकती है:-

शिक्षा की व्यवस्था

स्वास्थ्य की देख-रेख

जीविकापार्जन के समान अवसर

स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं सशक्तीकरण।

एक मानवीय समूह के रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिये पंचायत समान प्रतिष्ठा, समान व्यवहार, समान अवसर तथा समान ध्यान देकर उन्हें व्यवहार में बराबरी का दर्जा दिला सकती है।

अन्य योजनायें एवं कार्यक्रमः

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चलायी जानेवाली योजनायें, जैसेः जननी एवं बाल सुरक्षा योजना अदि द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत प्रसवपूर्व महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात देखभाल तथा 9 महीने तक बच्चों का नियमित टीकाकरण शामिल है। यह योजना जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा चलायी जाती है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे आनेवाली माताओं को प्रसव के लिये अस्पताल पहुँचाने से लेकर प्रसव पश्चात दवा इत्यादि आवश्यक वस्तु खरीदने के लिये आर्थिक मदद का भी प्रावधान है।

केन्द्र सरकार द्वारा सम्पोषित महिला स्वाधार योजना के अन्तर्गत निराश्रित, परित्यकता, विधवा एवं प्रवासी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग की व्यवस्था इस प्रकार हैः पुनर्वास के लिये जमीन क्रय हेतु वित्तीय सहायता, भवन निर्माण हेतु सहायता, भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि के लिये सहायता इत्यादि। इसके साथ साथ समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से चलाया जा रहा है।

ग्रन्थ सूची:

मिश्र देवेन्द्र 'पंचायती राज का संगठन एवं कार्य प्रणाली', क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली 1990

दूबे, डॉ. अवध नारायण 'नयी पंचायती राज व्यवस्था' मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी, 2002

ए.आर. देसाई, रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1969

जी पैरी, पॉलिटिकल एलिट्रस, जार्ज एलन एण्ड अविन लि. लन्दन, 1969

जे.सी. जोहरी व सीमा जोहरी, माडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा.वि. नई दिल्ली

Corresponding Author

Manju Kumari*

Assistant Teacher, Primary School, North Saidpur, Mahendru, Patna

www.ignited.in